बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 16-2-17

संख्या–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0 1853/ भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद–233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।– (1) यह नियमावली बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम–5 का खंड (ग) की आरंभिक पंक्ति को निम्न प्रकार पुनर्स्थापित किया जायेगाः–**

"भर्त्ती जहाँ तक संभव हो निम्न रीति से वार्षिक आधार पर की जायेगी।"

3. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम–5 के खंड (ग) में** (iv) **निम्न प्रकार जोड़ा जायेगाः–**

"नियम–5 के खंड (ग) (iii) के अध्यधीन किसी भर्त्ती वर्ष में, सीधी भर्त्ती हेतु निर्धारित पद किसी कारण से नहीं भरे जाते हैं तो उच्च न्यायालय उन रिक्तियों को योग्यता–सह– वरीयता के सिद्धांत के आधार पर अर्हता प्राप्त सिविल जज (वरीय कोटि) पदाधिकारियों से भर सकता है, किन्तु ऐसी प्रोन्नति उस अवधि तक के लिए तदर्थ रूप से होगी जब तक कि नियमित प्रोन्नति हेतु उनकी कालावधि परिपक्व न हो जाय, जब वे नियम–5 (ख) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु विचारणीय होंगे।

बशर्त्ते इस प्रकार भरी गयी रिक्तियाँ अगले भर्त्ती वर्ष में सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित रिक्तियों में वापस शामिल कर दी जायेंगी।"

4. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम–16 के खंड (ङ) में स्पष्टीकरण (2) निम्न प्रकार जोड़ा जायेगाः–**

"संवर्गीय रोस्टर उच्च न्यायालय द्वारा चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किये जाने की तिथि से ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष के अनुसार वार्षिक आधार पर प्रोन्नति/नियुक्ति के तीन विभिन्न श्रोतों के अनुसार संचालित होगा।"

5. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–ग का उप नियम–1 निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

"विज्ञापन प्रकाशन के वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु निश्चित रूप से 35 (पैंतीस) वर्ष होगी एवं 50 (पचास) वर्ष से कम होगी।"

6. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–ग का उप नियम–3 निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

"विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को जिस उम्मीदवार को विधि व्यवसाय में 7 (सात) वर्षों का अनुभव नहीं होगा तथा विगत 3 (तीन) वर्षों में कम–से–कम 24 (चौबीस) मामलों में प्रतिवर्ष उपस्थिति की घोषणा नहीं की जायेगी, वे ऐसी नियुक्ति के पात्र नहीं समझे जायेंगे।"

7. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–ग का उप नियम–6 निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

"स्क्रीनिंग टेस्ट का पूर्णांक 300 अंकों का होगा। विज्ञापित रिक्तियों के दस गुणा की संख्या में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।"

8. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–ग का उप नियम–8 निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

"स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु प्रश्न विधि, अंग्रेजी भाषा, सामान्य एवं कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित विषय रहेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा (सिद्धांत पत्र) उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्तांक की सार्थकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि विधि विषय से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के आलोक में होंगे:

1. The Constitution of India;
2. The Code of Civil Procedure, 1908;
3. The Limitation Act, 1963;
4. The Code of Criminal procedure, 1973;
5. The Indian Evidence Act, 1872;
6. The Transfer of Property Act, 1882;
7. The Indian Contract Act, 1872;
8. The Specific Relief Act, 1963;
9. The Sale of Goods Act, 1930;
10. The Indian Partnership Act, 1932;
11. The Negotiable Instruments Act, 1881;
12. The Arbitration and Conciliation Act, 1996 and
13. The Personal Laws (Hindu, Muslim and Christian).
14. Indian Penal Code."

9. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–ग का उप नियम–9 निम्न रूप में संशोधित किया जायेगाः–**

"लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 250 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार का पूर्णांक 50 अंकों का होगा", पुर्नस्थापित कर "उच्च न्यायालय समय–समय पर उक्त परीक्षा के लिए आगे दिये गये विषयों के पत्रों और उनके अंक का निर्धारण कर सकेगा।

विषय संख्या–17, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 से संबंधित है, के पश्चात् क्रम संख्या–18 पर "भारतीय दंड संहिता, 1860" को जोड़ा जायेगा।"

10. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–ग के उप नियम–10, 11 एवं 12 निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

"10. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अंकों का अनुपात 80% एवं 20% होगा।

11. उसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक परीक्षा में कम–से–कम 45% अंक प्राप्त किये हों।

12. वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा, जिसने लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 45% एवं लिखित परीक्षा (सैद्धांतिक पत्र) एवं साक्षात्कार में कुल 50% अंक प्राप्त किये हों।"

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

16/2/17

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0 1852 /पटना–15, दिनांक 16-2-17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

16/2/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0 1852 /पटना–15, दिनांक 16-2-17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–02 दिनांक 15.02.2017 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/17

सरकार के उप सचिव।